फार्म शुल्क रूपये २००/- मात्र

बार कौंसिल उ०प्र०–अधिवक्ता संघ सम्बद्धन नियमावली २००५
(अन्तर्गत मॉडल बाइलाज़)

१. **संक्षिप्त नाम**ः इन नियमों को ''बार कौंसिल उ०प्र० अधिवक्ता संघ संबद्धन नियमावली २००५ कहा जायेगा।

२. विस्तारः इसका विस्तार सम्पूर्ण उ०प्र० में होगा।

३. अवधिः यह उस तिथि को प्रवर्त होगा जिस तिथि को बार कौंसिल आफ उ०प्र० सूचना जारी कर प्रवृत करे।

४. परिभाषाएंः इन नियमों में जब कोई बात, विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो।

१. ''नियमावली'' से अभिप्राय है ''बार कौंसिल उ०प्र० अधिवक्ता संघ संम्बद्धन नियमावली २००५''

२. ''अधिवक्ता संघ'' से अभिप्राय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अधिवक्ताओं का विधि व्यवसाय के निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार जनपद मुख्यालय या तहसील स्तर पर गठित उन अधिवक्ता संघों से है जो बार कौंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिपादित उप विधि के अनुसार हो।

(क) जनपद व्यवहार एवं सत्र न्यायालय अधिवक्ता संघ।

(ख) राजस्व न्यायालय अधिवक्ता संघ।

(ग) आय कर अधिवक्ता संघ।

(घ) कमिश्नरी एवं तहसील न्यायालय अधिवक्ता संघ।

(च) राज्य/केन्द्रीय सेवा प्राधिकरण अधिवक्ता संघ।

(छ) उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (लखनऊ खण्डपीठ व इलाहाबाद उच्च न्यायालय पृथक)।

३. ''वर्ग'' से तात्पर्य विधि व्यवसाय के उपरोक्त वर्गीकरण के अन्तर्गत कोई वर्ग।

४. ''क्षेत्र'' से तात्पर्य उपरोक्त वर्गीकरण के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय व तहसील स्तर पर कार्यरत ''अधिवक्ता संघ'' जिसके सदस्यों के बैठने व कार्य करने का स्थायी स्थान वहीं हो जहां से वह संघ पंजीकृत हुआ है।

५. ''कौंसिल'' से तात्पर्य बार कौंसिल आफ उ०प्र० से है।

६. ''एडवोकेट'' से तात्पर्य विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्ति से है जिसका नाम बार कौंसिल द्वारा रखी जाने वाली एडवोकेट सूची में उल्लिखित है।

७. ''न्यूनतम सदस्य संख्या'' से तात्पर्य किसी भी वर्ग के किसी क्षेत्र में बार कौंसिल से सम्बद्ध होने के लिये किसी अधिवक्ता संघ को न्यूनतम सदस्य संख्या जो जनपद मुख्यालय स्तर पर कम से कम **३००** सदस्य और अन्य के लिये **५०** सदस्य होगी।

अन्य बातों के समान रहते हुये प्रतिवर्ष यह होगा कि कई अधिवक्ता संघों के सम्बन्धन के लिये आवेदन पर सर्वाधिक सदस्य वाले अधिवक्ता संघ का सम्बद्धन किया जायेगा तथा जनपद मुख्यालयों या तहसील में कुल अधिवक्ता संख्या न्यूनतम से भी कम है उस आवेदन पर न्यनतम सीमा में शिथिलन पर अनुमति के पश्चात ही सम्बद्धन हो सकेगा।

५. **सम्बन्धन** प्रत्येक अधिवक्ता संघ जो न्यूनतम सदस्य संख्या रखते हो एवं बार कौंसिल से सम्बद्ध होना चाहें वे विहित प्रारूप पर **(प्रारूप क/ख/ग)** निर्धारित शुल्क जो तहसील स्तर पर ३५००/- रूपया एवं अन्य के लिये ५५००/- रूपये वांछित प्रपत्रों एवं औपचारिकताओं के साथ आवेदन कर सकता है।

६. अवधि प्रत्येक अधिवक्ता संघ को सम्बद्धन की तिथि के प्रत्येक **पांच वर्ष** पश्चात का नवीनीकरण निर्धारित शुल्क जो तहसील स्तर के लिये २५००/- रूपया एवं अन्य के लिये ३५००/- रूपया होगा के साथ **(प्रारूप-घ)** में नवीनीकरण के लिये आवेदन वांछित प्रपत्रों के साथ करना होगा। उच्च न्यायालय के लिये सम्बद्धन का नवीनीकरण शुल्क ५५००/- रूपया निर्धारित किया गया है।

७. **प्रतिबन्ध**

१. किसी भी वर्ग के किसी भी क्षेत्र में कार्यरत अधिवक्ता संघ की संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

२. कोई भी अधिवक्ता अपने वर्ग के क्षेत्र में कार्यरत दो अधिवक्ता संघों में से किसी एक का ही सदस्य बन सकेगा।

८. **<u>दायित्व अधिवक्ता संघ</u>**

अ- बार कौंसिल से सम्बद्ध अधिवक्ता संघ का दायित्व होगा कि वह सदस्य अधिवक्ताओं के संरक्षण व सुरक्षा के साथ उनके आचरण और कार्यकलापों की समीक्षा करें और ऐसे अधिवक्ता जो व्यवसायिक नैतिकता के आदर्शों का हनन करें या कोई ऐसे दुष्कृत्य करें जो कार्य-कारिणी या सामान्य सभा की दृष्टि में वादकारियों, न्यायालय अथवा व्यवसायिक सदस्य बंधुओं के विरूद्ध हों एवं विधि व्यवसाय की प्रतिष्ठा में गिराते हो, की सूचना अविलम्ब बार कौंसिल को प्रेषित करें।

ब- समय-समय पर बार कौंसिल द्वारा संचालित अधिवक्ता हितार्थ योजनाओं को सदस्य अधिवक्ताओं को पहुंचना।

स- अधिवक्ताओं के हितार्थ योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराने हेतु सहायता व प्रयास करना।

द- समय-समय पर बार कौंसिल द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र अनुसूचनाओं से अधिवक्ताओं को अवगत कराना तथा उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

य- बार-कौंसिल को समय-समय पर अधिवक्ताओं के हितार्थ योजना के सम्बन्ध में सुझाव देना तथा अधिवक्ताओं या किसी अधिवक्ता की बार कौंसिल से सम्बन्धित विचाराधीन समस्या के निदान हेतु अवगत कराना।

र- समय-समय पर कानून, अधिवक्ता, न्यायिक प्रक्रिया एवं सम्बन्धित विषयों पर
सेमिनार, गोष्ठी, व्याख्यान माला आयोजित करना।

ल- प्रतिवर्ष अधिवक्ता संघ के चुनाव का महीना निश्चित करना एवं प्रति वर्ष चुनाव उसी माह में सुनिश्चित करना।

व- वार्षिक चुनाव के पश्चात एक माह के भीतर संघ के पदाधिकारियों, सदस्यो एवं दिवंगत अधिवक्ताओं की सूची नाम/पंजीकरण संख्या/पता सहित बार कौंसिल को प्रेषित करना।

स- अपने कार्य कलापों की वार्षिक रिपोर्ट एवं आडिट रिपोर्ट, बार कौंसिल को प्रेषित करना।

ह- प्रतिवर्ष इस आशय का प्रमाण-पत्र (प्रारूप-ख) बार कौंसिल को प्रेषित करना कि अधिवक्ता संघ के सदस्य किसी अन्य सहवर्ती अधिवक्ता संघ के सदस्य नहीं है।

९. दायित्व-बार कौंसिल

क- इस नियमावली के नियम ५(अ) के अन्तर्गत दोषी सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना।

ख- बार-कौंसिल आफ उ०प्र० स्वयं के तथा अखिल भारतीय बार कौंसिल के महत्वपूर्ण निर्णयों से अधिवक्ता संघों को अवगत कराना।

ग- अधिवक्ता संघों के भवन एवं लाइब्रेरी के सुधार हेतु आर्थिक एवं अन्य सहायता करना।

घ- अधिवक्ता हित एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाओं से अधिवक्ता संघ को अवगत कराना।

च- समय-समय पर बार कौंसिल द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र/योजनाओं से अधिवक्ता संघ को अवगत कराना तथा उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

छ- उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य कोई कार्य करना।

<u>१०. संबद्धन का निरस्तीकरण</u> संबद्धन निम्न आधारों पर निरस्त किया जा सकता है।

क- अधिवक्ता संघ के नवीनीकरण की तिथि के तीन माह के भीतर विहित प्रारूप (प्रारूप-घ) में समस्त औपचारिकताओं के साथ नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं करता है।

ख- बार-कौंसिल के निर्देशों या इन नियमावली का जानबूझकर उल्लंघन या पालन न करने पर।

ग- वार्षिक चुनाव निर्धारित माह में न कराने पर।

घ- बार-कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत कोई सूचना या प्रपत्र असत्य पाये जाने पर या तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण पर।

११. बार-कौंसिल को किसी अधिवक्ता संघ द्वारा प्रेषित इस नियमावली में वांछित आवेदन/नवीनीकरण से सम्बन्धित या अन्य कोई सूचना या प्रपत्र असत्य रूप में या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने पर उस अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व महामंत्री व्यवसायिक कदाचरण (प्रोफेसनल मिस कान्डेक्ट) के दोषी माने जायेंगे और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

१२. इस नियमावली में अन्य बातों के रहते हुए बार-कौंसिल को अधिकार होगा कि वह नियमावली में आवश्यकतानुसार शिथिलन कर सकती है।

<u>नोटः</u>

१. **<u>नये सम्बद्धीकरण के लिये प्रारूप क/ख/ग, तीनों प्रारूप संलग्नकों के साथ भरना है।</u>**
२. **<u>सम्बद्धीकरण के नवीनीकरण के लिये प्रारूप घ/ख/ग, तीनों प्रारूप संलग्नकों के साथ भरना है।</u>**
३. **<u>पदाधिकारी सम्पर्क मोबाइल/लैण्डलाइन नम्बर भी उल्लिखित करें।</u>**

प्रपत्र–(क)

बार कौंसिल से नये अधिवक्ता संघ के संबद्धन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,
सचिव,
बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश
१६, महर्षि दयानंद मार्ग,
प्रयागराज।

महोदय,

हमारा अधिवक्ता संघ नाम.....
.....बार कौंसिल से बार कौंसिल उ०प्र०, अधिवक्ता संघ नियमावली के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय/तहसील स्तर.....
..... के वर्ग (वर्ग विवरण).....
.....
के अन्तर्गत सम्बद्ध होना चाहता है।

संबद्धन शुल्क रू० .....का बैंक ड्राफ्ट बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के नाम का संख्या/बैंक.....दिनांक.....
..... अधोलिखित वांछित प्रपत्रों के साथ संलग्न है।

दिनांक **अध्यक्ष** **महामंत्री**

संलग्नकः
१. संघ को सोसाइटीज रजिस्ट्रशन प्रमाण–पत्र।
२. मेमोरेण्डम/आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति।
३. सदस्यों/पदाधिकारियों की सूची (नाम, पता, इनरोलमेंट नं० मोबाइल नं० एवं सीओपी नम्बर सहित)।
४. ''एकल सदस्यता प्रमाण–पत्र (प्रारूप–ख)।
५. कार्य क्षेत्र परिसीमा प्रमाण–पत्र (प्रारूप–ग)
६. बार–कौंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिपादित उप विधि/मॉडल बाइलाज जो रजिस्ट्रार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन के साथ पंजीकृत हो।

प्रारूप-ख

अधिवक्ता संघ के सदस्यो का एकल सदस्यता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि.....
.....
.....अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य किसी अन्य अधिवक्ता संघ के सदस्य नहीं है।

दिनांक **महामंत्री** **अध्यक्ष**

प्रारूप (ग)

अधिवक्ता संघ के सदस्यों का कार्य क्षेत्र परिसीमन प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है (अधिवक्ता संघ का नाम).....
.....
.....के सभी सदस्यों के बैठने व कार्य करने का स्थान.....
.....
.....तहसील.....
.....जनपद मुख्यालय है जहां से संघ पंजीकृत है।

दिनांक **महामंत्री** **अध्यक्ष**

प्रपत्र-(घ)

बार कौंसिल से अधिवक्ता संघ के संबद्धन के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,
सचिव,
बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश
१९, महर्षि दयानंद मार्ग,
प्रयागराज।

महोदय,

हमारा अधिवक्ता संघ (नाम) .....
.....बार कौंसिल से संबद्धन संख्या.....
दिनांक..... तक पांच (५) वर्ष के लिये संबद्धन हुआ था जिसकी अवधि दिनांक.....को पूरी हो चुकी है/होने वाली है। कृपया संबद्धन का नवीनीकरण करने की कृपा करें।

नवीनीकरण शुल्क रू०.....का बैंक ड्राफ्ट बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश, के नाम का संख्या.....दिनांक..... अधोलिखित वांछित प्रपत्रों के साथ संलग्न है।

दिनांक **महामंत्री** **अध्यक्ष**

संलग्नकः
१. संबद्धन प्रमाण पत्र मूलप्रति/अद्यतन पूर्व प्रति।
२. सदस्यों की सूची नाम/पंजीकरण संख्या/पता/सीओपी नं०/मोबाइल नं० सहित।
३. कुल सदस्य संख्या विवरण।
४. एक सदस्यता प्रमाण-पत्र (प्रारूप-ख)
५. कार्यक्षेत्र परिसीमन प्रमाण-पत्र (प्रारूप-ग)
६. इस आशय का नोटरी शपथपत्र कि अधिवक्ता संघ ने बार काउन्सिल द्वारा प्रतिपादित उप विधि (मॉडल बाइलाज) व संबद्धन नियमावलियों का उल्लंघन नहीं किया है।
७. संघ को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो कापी
८. संघ का पंजीकृत बाइलाज जो सोसाइटीज चिट्स फर्म एवं फण्ड से प्रमाणित हो उसकी फोटोकापी, माडल बाइलाज के अनुरूप हो।